

(मध्य प्रदेश राज्य)

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत Online अनुदान हेतु सम्पूर्ण डाटा फ्लो डायग्राम ।

प्रारंभ

(पंजीयन हेतु प्रक्रिया)

कृषक द्वारा पोर्टल से eKYC बायोमैट्रिक के माध्यम से सत्यापन उपरांत पंजीयन ।

(योजना में आवेदन हेतु प्रक्रिया)

- कृषक द्वारा स्वयं को प्रदाय लॉग इन पैनल से लॉग इन ।
- कृषक द्वारा योजना एवं घटक का चयन ।
- कृषक द्वारा निर्माता (विभाग में पंजीकृत) का चयन ।
- कृषक द्वारा कृषक-सहमति पत्र अपलोड एवं सत्यापन ।
- कृषक द्वारा NEFT(स्वयं के बैंकपास बुक की प्रथम एवं ट्रांसेक्शन वाले प्रष्ठ की प्रति) अपलोड ।
- मोबाइल नंबर सत्यापन (OTP के माध्यम से)।
- Message द्वारा सत्यापित मोबाइल न. पर कृषक को पंजीयन।

क्या आवेदक संबंधित योजना सामग्री में 5 हेक्टेयर तक का लाभ ले चुका है ?

यदि हाँ

संबंधित योजना का लाभ सात वर्षों के पश्चात् ले पायेगा ।

यदि नहीं

आवेदन सफलता पूर्वक स्वीकार लिया गया है ।

(दस्तावेज सत्यापन)

विकासखण्ड स्तर से दस्तावेज सत्यापन वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा (7 दिवस के अन्दर सत्यापन किया जाना आवश्यक है ।)

क्या दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेज गलत या अपठनीय हैं ?

हाँ

विकासखण्ड स्तर से वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO)द्वारा दस्तावेज अस्वीकृत किया जायेगा (कारण सहित) ।

नहीं

(दस्तावेज अनुमोदन)

जिला स्तर से उप/ सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा दस्तावेज अनुमोदन किया जायेगा

(दस्तावेज अनुमोदित, विकासखण्ड स्तर से दस्तावेज सत्यापन से 15 दिवस के अन्दर किया जाना आवश्यक है)।

जिला स्तर से अनुमोदन उपरांत क्या निर्माता द्वारा 15 दिनों के अन्दर NEFT(स्वयं के बैंकपास बुक की प्रथम एवं ट्रांसेक्शन वाले प्रष्ठ की प्रति) अपलोड की गई ?

नहीं

कृषक का आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

हाँ

(कार्य आदेश जारी)

कार्य आदेश स्वतः जारी हो जाएगा ।

(कार्य प्रारंभ)

कार्य आदेश जारी होने के उपरांत कार्य प्रारंभ की सूचना कृषक या वेंडर के पोर्टल (प्रदाय लॉग इन) के माध्यम से दी जाएगी ।

(कार्य समाप्त)

कार्य प्रारंभ की सूचना के उपरांत कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिनों के अन्दर (PMKSY योजना हेतु) कार्य समाप्ति की सूचना कृषक / वेंडर द्वारा पोर्टल (प्रदाय लॉग इन) के माध्यम से दी जाएगी अन्यथा कार्य आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

(भौतिक सत्यापन)

वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा भौतिक सत्यापन एन्फ्रामेपिंग मोबाइल एप द्वारा GO टैगिंग के माध्यम से कार्य समाप्ति की दिनांक से 15 दिनों के अन्दर किया जाना आवश्यक है ।

(बिल जनरेट)

ऑनलाइन बिल जनरेट (ADH/DDH) उप/ सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा भौतिक सत्यापन दिनांक से 10 दिन के अन्दर किया जाना आवश्यक है ।

```
graph TD; Start(( )) --> Box["(भुगतान)  
भौतिक सत्यापन दिनांक से 15 दिनों के अन्दर ट्रेजरी से सीधा  
भुगतान ऑनलाइन कृषक के खाते में / कृषक के लोन खाते में/  
निर्माता के खाते में किया जाना आवश्यक है।"]; Box --> End([समाप्त]);
```

(भुगतान)

भौतिक सत्यापन दिनांक से 15 दिनों के अन्दर ट्रेजरी से सीधा
भुगतान ऑनलाइन कृषक के खाते में / कृषक के लोन खाते में/
निर्माता के खाते में किया जाना आवश्यक है ।

समाप्त